कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा यथासंशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व ढांचागत रूप रेखा को विश्लेषित करता है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलनों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों के प्रचालन में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

राज्य ने वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा शून्य तक ले जाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया क्योंकि राज्य राजस्व अधिशेष तक पहुँच गया लेकिन तत्पश्चात् इसे बरकरार नहीं रख पाया तथा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों में भारी घाटे की स्थिति महसूस की गई।

वर्ष 2014-15 के ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में 13 *प्रतिशत* की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 31 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष में परिवर्तित होकर ₹ 1,137 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 के ₹ 4,200 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 2,165 करोड़ हो गया तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.96 *प्रतिशत* था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं

बजट प्रबन्धन/चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (अर्थात् तीन *प्रतिशत*) से नीचे रहा। चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय निधि अन्तरण के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 के दौरान अधिशेष (₹ 990 करोड़) में परिणत हुआ।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ (₹ 23,440 करोड़) विगत वर्ष (13.57 *प्रतिशत*) की तुलना में ₹ 5,597 करोड़ (31.36 *प्रतिशत*) बढ़ गईं। राज्य के अपने संसाधनों से केवल 37 *प्रतिशत* प्राप्तियाँ थी जिसमें कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ शामिल थीं जबकि अधिकांश (63 *प्रतिशत*) राजस्व प्राप्तियाँ केन्द्रीय निधि अन्तरण अर्थात् सहायता अनुदान (48 *प्रतिशत*) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों (15 *प्रतिशत*) से प्राप्त हुई।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 25,630 करोड़) गत वर्ष के कुल व्यय (₹ 22,734 करोड़) से ₹ 2,896 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़ गया। राजस्व व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 19,787 करोड़ से ₹ 2,516 करोड़ (13 *प्रतिशत*) बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया लेकिन इसी अवधि में कुल व्यय पर इसका अंश (87 *प्रतिशत*) यथावत् रहा। योजनागत राजस्व व्यय (₹ 3,493 करोड़) गत वर्ष (₹ 3,204 करोड़) से ₹ 289 करोड़ (9 *प्रतिशत*) बढ़ गया तथा विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय का 12 से 16 *प्रतिशत* रहा। यद्यपि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 2011-16 के वर्षों में राजस्व व्यय का 84-88 *प्रतिशत* रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन व उपदान पर व्यय 2011-16 वर्षों की अवधि में निरन्तर वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2011-12 के ₹ 11,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹16,511 करोड़ हो गया जो कि राजस्व व्यय का औसतन 77 *प्रतिशत* था। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश 2014-15 के 10.9 *प्रतिशत* की तुलना में 11.2 *प्रतिशत* रहा। कुल व्यय पर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता 2014-15 वर्ष के 64.10 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 65 *प्रतिशत* हो गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत ₹ 364.57 करोड़ की निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से देने के बजाय सीधे ही राज्य कार्यदायी अभिकरणों को हस्तान्तरित कर दी गयी। इन निधियों से किए गए व्यय की निगरानी करने के लिए राज्य में कोई भी अभिकरण नहीं है और कोई आंकड़ा तैयार नहीं है कि इन अभिकरणों द्वारा उस विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई। वर्ष 2015-16 के अन्त में 12 अपूर्ण परियोजनाओं में कुल ₹ 142.55 करोड़ की निधियाँ अवरूद्ध पड़ी थीं।

कम्पनियों/निगमों में 31 मार्च 2016 तक ₹ 3,041 करोड़ के निवेश का प्रतिफल नगण्य (₹ 111.94 करोड़) अर्थात् 3.68 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 7.89 *प्रतिशत* के औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था। यह निवेश उन कम्पनियों/निगमों में भी किया गया जो निरन्तर हानि वहन कर रही थीं।

2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 18.48 करोड़ की राशि विभिन्न ऋणी/इकाई को शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना संस्वीकृत कर ली गई थी।

आठ *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 41,197 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों का 176 *प्रतिशत* थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2014-15 में 59 *प्रतिशत* से बढ़कर 2015-16 में 60 *प्रतिशत* हो गया। राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 62 *प्रतिशत* ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है और 'ऋण जाल' की तरफ राज्य को धकेल रही है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 32 *प्रतिशत* उधार पहले से लिए गए ऋणों को चुकता करने में प्रयुक्त किए गए जिससे इन ऋणों को लेने का उद्देश्य विफल रहा।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 191.90 करोड़ की समग्र बचत ₹ 2,848.43 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 3,040.33 करोड़ की पर्याप्त बचत (शिक्षा एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण अनुदानों के अन्तर्गत) का निवल परिणाम थी। वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि से सम्बन्धित ₹ 7,904.32 करोड़ के अधिक व्यय का अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा नियमन अपेक्षित है।

15 उपशीर्षों में ₹ 818.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि या तो व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँच पाया या फिर सकल असम्बद्ध अधिक व्यय हुआ। 48 उपशीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन किया गया जिसका परिणाम आधिक्य/बचत हुआ। 42 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) में ₹ 3,135.63 करोड़ वित्त वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किए गए थे। 83 मामलों/उपशीर्षों में ₹ 385.80 करोड़ की राशि का शत् प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किया गया था।

छः मामलों में वर्ष की चौथी तिमाही का व्यय 52 *प्रतिशत* व 70 *प्रतिशत* के बीच था और इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अकेले मार्च 2016 महीने में किया गया व्यय कुल व्यय का 31 से 58 *प्रतिशत* था।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2016 तक ₹ 2,225.40 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 2,944 प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 78.70 लाख की सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 47 मामले थे जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

विभिन्न विभागों में विभिन्न नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की सरकार ने अनुपालना नहीं की जिससे सितम्बर 2016 को कुल ₹ 34.38 करोड़ राशि के अस्थाई अग्रिम के 104 मामले समायोजन हेतु लम्बित थे।